रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022022-233755
CG-DL-E-25022022-233755

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 159] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 25, 2022/फाल्गुन 6, 1943
No. 159] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 25, 2022/PHALGUNA 6, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2022

सा.का.नि. 162(अ).—केन्द्रीय मोटर यान (मोटर यान दुर्घटना निधि) नियम, 2022प्रारूप मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथा-अपेक्षित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 527(अ), तारीख 2 अगस्त, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनका इससे प्रभावित होना संभाव्य है, उस तारीख से, जिसको राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिनों के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 3 अगस्त, 2021 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्ररूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है।

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 164(ख) के साथ पठित धारा 164(ग) की उपधारा (2) के खंड (फ), (ब), (भ) और (म) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (मोटर यान दुर्घटना निधि) नियम, 2022 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2022 से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- इन नियमों में जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) अभिप्रेत है।

(ख) "निधि" से धारा 164ख से अधीन गठित ऐसी मोटर यान दुर्घटना निधि अभिप्रेत है, जिसमें "बीमाकृत यानों के लिए खाते,"अबीमाकृतयानों" या "हिटएण्ड रन मोटर दुर्घटना" के लिए खाते और "हिटएण्ड रनप्रतिकर खाता" भी शामिल है।

(ग) "बीमाकृत यान के लिए खाता" से निधि का ऐसा भाग अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 162 के अधीन विरचित योजना के अनुसार बीमाकृत यानों द्वारा कारित मोटर दुर्घटना के पीडितों के नगद रहित उपचार के लिए उपयोग की जाती है ;

(घ) "अबीमाकृत यानों या हिट एण्ड रन मोटर दुर्घटना के लिए खाता" से निधि का ऐसा भाग अभिप्रेत है जो धारा 162 के अधीन विरचित योजना के अनुसार अबीमाकृत यानों या हिट एण्ड रन मोटर दुर्घटना द्वारा कारित मोटर दुर्घटना के पीडितों के नगद रहित उपचार के लिए उपयोग की जाती है ;

(ङ) "नामनिर्दिष्ट अभिकरण" से ऐसा अभिकरण अभिप्रेत है जो धारा 162 के अधीन विरचित योजना के क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा न्यस्त किया गया है ;

(च) "साधारण बीमा परिषद्" से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 64ग के अधीन गठित साधारण बीमा परिषद् अभिप्रेत है ;

(छ) "हिट एण्ड रन प्रतिकर खाता" से निधि का ऐसा भाग अभिप्रेत है जो हिट एण्ड रन मोटर दुर्घटना स्कीम, 2022 के लिए प्रतिकर के साथ पठित धारा 161 के अनुसार हिट एण्ड रन मोटर दुर्घटना के पीडित के लिए प्रतिकर के भुगतान के लिए उपयोग किया जाता है ;

(ज) "अस्पताल" से धारा 162 के अधीन विरचित स्कीम के अधीन सड़क दुर्घटना पीडित को उपचार प्रदान करने वाला कोई स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाता अभिप्रेत है ;

(झ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;

(ञ) "न्यास" से मोटर यान दुर्घटना निधि न्यास विलेख द्वारा स्थापित न्यास 13.01.2022 निष्पादित और रजिस्ट्रीकृत अभिप्रेत है ;

(ट) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में है।

3. मोटर यान दुर्घटना निधि की स्थापना.- मोटर यान दुर्घटना निधि धारा 164ख की उपधारा (1) के अनुसार गठित होगी और निम्नलिखित तीन खातों से मिलकर बनेगी :-

(क) बीमाकृत यानों के लिए खाता ;

(ख) अबीमाकृत यानों या हिट एण्ड रन मोटर दुर्घटना के लिए खाता ; और

(ग) हिट एण्ड रन प्रतिकर रकम।

4. न्यास का निर्माण.- (1) न्यास इन नियमों के अनुसार मोटर यान दुर्घटना निधि से शासित होगा ।

(2) इन नियमों के अनुसार, न्यास मोटर यान दुर्घटना निधि को निम्नलिखित के लिए उपयोग करेगा, -

(क) हिट एण्ड रन मोटर दुर्घटना स्कीम, 2022 के लिए प्रतिकर के साथ पठित धारा 161 के अनुसार हिट एण्ड रन मोटर दुर्घटना के मामले में प्रतिकर का उपबंध करना ;

(ख) धारा 162 के अनुसार सडक दुर्घटना के पीडित को नगद रहित उपचार प्रदान करना ;

(ग) ऐसे अन्य व्यक्ति को प्रतिकर प्रदान करना जो विनिर्दिष्ट किया जाए ;

(3) न्यास, नियम 7 के अधीन विरचित इन नियमों और न्यास विलेख द्वारा शासित होगा ।

5. न्यास की संरचना.-न्यास में निम्नलिखित न्यासी शामिल होंगे, अर्थात् :-

क्रम संख्या	सदस्य का पदनाम	न्यास में भूमिका
(1)	(2)	(3)
1.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का कोई ऐसा अधिकारी जो संयुक्त सचिव की रैंक से नीचे का न हो	न्यासी (अध्यक्ष)
2.	वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग का कोई ऐसा अधिकारी जो संयुक्त सचिव की रैंक से नीचे का न हो	न्यासी– सदस्य ;
3.	वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग का कोई ऐसा अधिकारी जो उप सचिव की रैंक से नीचे का न हो	न्यासी– सदस्य ;
4.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का कोई ऐसा अधिकारी जो संयुक्त सचिव की रैंक से नीचे का न हो	न्यासी– सदस्य ;
5.	निदेशक, सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	न्यासी– (सदस्य संयोजक) ;
6.	सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रधान मुख्य नियंत्रक लेखा का प्रतिनिधि,	न्यासी – सदस्य ;
7.	महासचिव, साधारण बीमा परिषद्	न्यासी– सदस्य ;
8.	निदेशक/उप सचिव, सडक सुरक्षा अनुभाग, सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	न्यासी– सदस्य ;

6. न्यासियों की शक्तियां और कृत्यें.- न्यास के उद्देश्यों और उसकी प्राप्ति के प्रासंगिक या आनुषंगिक मामलों को आगे बढ़ाने के लिए न्यास की निम्नलिखित शक्तियां होंगी :-

(क) मोटर यान दुर्घटना निधि (न्यास कोर) के कार्यकरण और उपयोग का कालिक पुनर्विलोकन और जहां कही भी आवश्यक हो, सूसंगत सुधारात्मक उपायों के लिए केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करना ;

(ख) हिट एण्ड रन मोटर दुर्घटना स्कीम, 2022 के पीडित को प्रतिकर और धारा 162 के अधीन विरचित स्कीम के क्रियान्वयन पर केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करना ;

(ग) नियम 10 के अधीन किए गए अंशदान जिसमें मोटर यान दुर्घटना निधि (न्यास कोर) शामिल है, की प्राप्ति और उसके उपयोग के आधार पर मात्रा का वार्षिक पुनर्विलोकन ;

(घ) हिट एण्ड रन मोटर दुर्घटना स्कीम, 2022 के लिए प्रतिकर और धारा 162 के अधीन विरचित स्कीम के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी संगठन या अभिकरण द्वारा उठाए गए किसी मुद्दे पर विचार विमर्श करना ;

(ङ) इस निधि के उपयोग करने में योजना के क्रियान्वयन के दौरान उत्पन्न कोई अन्य मुद्दा ।

7. न्यास विलेख– (1) यह न्यास इन नियमों के अनुसार विरचित न्यास विलेख द्वारा शासित होगा, और न्यास विलेख इन नियमों के अतिरिक्त होगा और न कि इसके अल्पीकरण में होगा।

परंतु यह कि न्यास विलेख के खंडों और इन नियमों के बीच किसी विसंगति के मामले में, ये नियम अधिक्रांत करेंगे।

(2) इस न्यास विलेख में निम्नलिखित खंड शामिल होंगे :

(क) न्यास का नाम और उद्देश्य;

(ख) प्रारंभिक न्यास कोर और इस कोर में परिवर्द्धन;

(ग) न्यासी बोर्ड;

(घ) न्यासियों की शक्तियां और उत्तरदायित्व;

(ङ) न्यासियों की बैठकें, जिसमें कोरम, कार्यवृत्त, बैठकों के नोटिस और मतदान शामिल हैं;

(च) न्यास की ओर से शक्तियों काप्रत्यायोजनऔर अधिकारियों की नियुक्ति;

(छ) न्यास के नियम, विनियम और उप नियम विरचित करने की शक्ति;

(ज) उचित तौर पर एक या अधिक अर्हक स्वतंत्र लेखा-परीक्षक(कों) द्वारा वार्षिक आंतरिक लेखा-परीक्षा की अपेक्षा और तंत्र और उनकी नियुक्ति की रीति;

(झ) न्यास कोर के अभिलेखों और लेखाओं के अनुरक्षण की अपेक्षा;

(ञ) न्यास विलेख में संशोधन करने की शक्ति; ओर

(ट) न्यास का विघटन।

8. अभिलेखों, लेखाओं का अनुरक्षण और मोटर यान दुर्घटना निधि की लेखा परीक्षा. -

(1) न्यास के उचित और पारदर्शी प्रशासन के हित में और भारत में प्रयोज्य कानूनों के अनुपालन में न्यासी ऐसे दस्तावेजों, फाइलिंग, बहियों और अभिलेखों को बनाए रखेंगे और अनुरक्षित रखेंगे।

(2) न्यासी मोटर यान दुर्घटना निधि (न्यास कोर) के प्रबंधन के अनुक्रम में या न्यास के उद्देश्यों को प्राप्त करने के संबंध में प्राप्त और व्ययित सभी धनराशियों का और साथ ही साथ मोटर यान दुर्घटना कोष (न्यास कोर) से संबंधित सभी आस्तियों और देयताओं का सही और सटीक लेखा देंगे।

(3) उपनियम(1) और (2) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, न्यासी मोटर यान दुर्घटना निधि के लेखाओं के वार्षिक विवरण और तुलन पत्र सहित उचित लेखा, और निम्नलिखित के संबंध में अभिलेखबनाए रखेंगे –

(क) प्राप्त और व्ययित सभी धनराशियां और वे मामले जिनमें प्राप्ति और व्यय हुए हैं;

(ख) न्यास की आस्तियां और देनदारियां; और

(ग) न्यासियों की बैठकों के कार्यवृत्त।

(4) न्यासियों द्वारा अनुरक्षित लेखा बहियों और विवरणों की प्रत्येक वर्ष न्यासियों द्वारा नियुक्त एक या अधिक अर्हित स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों द्वारा जांच, लेखा परीक्षा की जाएगी और प्रमाणित की जाएगी।

(5) न्यासी प्रत्येक वर्ष में एक बार न्यास की गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगे, और उस रिपोर्ट की एक प्रति, अंकेक्षित लेखाओं की प्रति के साथ, उस वित्तीय वर्ष के अंत में, उसी कैलेंडर वर्ष के जुलाई माह की 31 तारीख से पहले सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रस्तुत करेंगे।

(6) धारा 164 (ख) की उपधारा (8) के अनुसार मोटर यान दुर्घटना निधि (न्यास कोर) के लेखाओं का भारत के महानियंत्रक और लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा कीजाएगी।

(7) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षकद्वारा यथा प्रमाणित मोटर यान दुर्घटना निधि की लेखाओं को, लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट के साथ, वार्षिक रूप से केन्द्रीय सरकार को भेजा जाएगा, जिसे संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाएगा।

9. केन्द्रीय सरकार द्वारा निरीक्षण और लेखा परीक्षा–

(1) केन्द्रीय सरकार प्रत्यक्षत: या इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से न्यास की बहियों, लेखाओं, अभिलेखों और दस्तावेजों का निरीक्षण और लेखा परीक्षा कर सकती है।

(2) केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित में किसी भी आधार पर, परंतु इन तक सीमित नहीं,से उप-नियम(1) की शक्ति का उपयोग कर सकती है, -

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेखा बहियां, अभिलेखों और दस्तावेजों को उचित तरीके से अनुरक्षित रखा जा रहा है;

(ख) यह विनिश्चित करने के लिए कि इस अधिनियम के प्रावधानों, इन नियमों, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी सभी सूसंगत परिपत्रों, दिशानिर्देशों या अधिसूचनाओं का अनुपालन किया जा रहा है;

(ग) सड़क दुर्घटना पीड़ितों, या किसी अन्य व्यक्ति से, न्यास की गतिविधियों पर असर डालने वाले किसी मामले पर, प्राप्त शिकायतों की जांच करने के लिए;

(घ) इस न्यास के उद्देश्यों के हित जैसा उचित माना जाएगा, ऐसे मामलों की स्वत: जांच करने के लिए।

(3) इस नियम के अंतर्गत निरीक्षण या लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए न्यास, न्यासियों, इस न्यास के अध्यक्ष और अन्य अधिकारी इस न्यास से संबंधित इसके कब्जे में दस्तावेजों, अभिलेखों और प्रणालियों की सभी सूचना, के लिए युक्तियुक्त पहुंच प्रदान करेंगे और प्रस्तुत करेगा।

(4) निरीक्षण और लेखा परीक्षा की समाप्ति पर, केन्द्रीय सरकार न्यास के उद्देश्यों के हित में जोयह उचित और उपयुक्त समझे ऐसी कार्रवाई कर सकती है।

10. मोटर यान दुर्घटना निधि की आय के स्रोत– मोटर यान दुर्घटना निधि के प्रत्येक घटक के आय के स्रोत निम्नानुसार हैं :-

(क) बीमाकृत यानों के लिए खाता–"बीमाकृत यानों के लिए खाता" में निम्नलिखित जमा किए जाएंगे :

(i) भारत में मोटर बीमा का व्यवसाय करने वाली सभी बीमा कंपनियां, साधारण बीमा परिषद् के परामर्श से न्यास द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट राशि का बीमाकृत यान खाते में अंशदान करेंगी।

(ii) न्यास यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक तिमाही के अंत में बीमाकृत यान खाते में न्यूनतम शेष जमा है, या जब खाते में जमा राशि न्यूनतम शेष के 20 प्रतिशत से कम हो, जो भी अधिक हो।

(ख) अबीमाकृत यान / हिट एंड रन मोटरदुर्घटना के लिए खाता –"अबीमाकृत यान / हिट एंड रन मोटर दुर्घटना के लिए खाता" में निम्नलिखित जमा किया जाएगा :

(i) राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का विनिर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्धारित खंडों का उपयोग करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा संग्रहित शुल्क (प्रयोक्ता शुल्क); या

(ii) भारत की समेकित निधि से बजटीय अनुदान के माध्यम से; या

(iii) धारा 198क के अंतर्गत संग्रहित जुर्माना; या

(iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य स्रोत।

(ग) हिट एंड रन प्रतिकर खाता : - हिट एंड रन प्रतिकर खाते में निम्नलिखित जमा किया जाएगा :

(क) इन नियमों के आरंभ की तिथि को क्षतिपूर्ति योजना, 1989 के अंतर्गत चालू जमा शेष; और

(ख) पूर्ववर्ती वर्ष में हिट एंड रन प्रतिकर खाता से वास्तविक संवितरणों को ध्यान में रखते हुए, न्यास द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट साधारण बीमा कंपनियों द्वारा भारत में मोटर बीमा के कारबार को चलाने वाली बीमा कंपनियों द्वारा संग्रहित कुल तृतीय पक्ष प्रीमियम का ऐसा कोई प्रतिशत।

11. मोटर यान दुर्घटना निधि के घटकों का उपयोग - मोटर यान दुर्घटना निधि के घटकों का उपयोग निम्नानुसार किया जाएगा –

(क) बीमाकृत यानों का खाता–

(i) बीमाकृत यानों के खाता का उपयोग बीमाकृत यानों द्वारा कारित दुर्घटनाओं के पीड़ितों का नकदीरहित उपचार के लिए किया जाएगा।

(ii) नकदीरहित उपचार देने वाले अस्पताल की दावा राशि का संवितरण नामनिर्दिष्ट अभिकरण द्वारा किया जाएगा।

(iii) इस खाते को न्यास के पर्यवेक्षण में साधारण बीमा परिषद् द्वारा प्रशासित किया जाएगा।

(ख) अबीमाकृत यानों / हिट एंड रन मोटरदुर्घटना के लिए खाता –

(i) "अबीमाकृत यानों/हिट एंड रन दुर्घटना के लिए खाता" का उपयोग निम्नलिखित के लिए होगा –

(क) अबीमाकृत यानों द्वारा कारित और हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों का नकदीरहित उपचार प्रदान करना;

(ख) ऐसे अन्य व्यक्तियों को जो विनिर्दिष्ट किए जाए, प्रतिकर प्रदान करना ।

(ii) नकदीरहित उपचार देने वाले अस्पताल की दावा राशि का संवितरण नामनिर्दिष्ट अभिकरण द्वारा अस्पताल को किया जाएगा।

(iii) इस खाते को न्यास के पर्यवेक्षण में साधारण बीमा परिषद् द्वारा प्रशासित किया जाएगा।

(ग) हिट एंड रन प्रतिकर खाता :-

(i) हिट एंड रन प्रतिकर खाते का उपयोग धारा 162 के अंतर्गत विरचित योजना के अनुसार हिट एंड रन दुर्घटना पीड़ितों को प्रतिकर प्रदान करने, और हिट एंड रन दुर्घटना पीड़ितों के नकदी रहित उपचार के लिए अस्पताल द्वारा किए गए दावा की राशि की प्रतिपूर्ति नियम के अनुसार अबीमाकृत यानों या हिट एंड रन मोटर दुर्घटना खाते में करने के लिए की जाएगी।

(ii) यह न्यास के पर्यवेक्षण में साधारण बीमा परिषद् द्वारा प्रशासित किया जाएगा।

12. नकदीरहित उपचार के लिए निधियों का संवितरण –

(1) धारा 162 के अधीन बनाई गई स्कीम के अधीन नगदी रहित उपचार के लिए निधि का संवितरण इस नियम के अनुसार होगा।

(2) न्यास धारा 162 के अंतर्गत विरचित योजना के क्रियान्वयन के लिए नामनिर्दिष्ट अभिकरण को निधि स्थांतरित करेगा।

(3) बीमाकृत यानों द्वारा कारित मोटर दुर्घटना के मामले में, अनुमोदित दावा राशि का संवितरण नामनिर्दिष्ट अभिकरण द्वारा बीमाकृत यान के लिए खाता से अस्पताल को किया जाएगा।

(4) अबीमाकृत यानों द्वारा कारित मोटर दुर्घटना के मामले में, अनुमोदित दावा राशि का संवितरण नामनिर्दिष्ट अभिकरण द्वारा अबीमाकृत यान / हिट एंड रन मोटर दुर्घटना खाता से अस्पताल को किया जाएगा।

परंतु यह कि यदि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने दुर्घटना करने वाले ऐसे अबीमाकृत यान के स्वामी के विरुद्ध प्रतिकर के लिए पारित किसी अधिनिर्णय, जिसमें नकदीरहित उपचार के लिए राशि का संवितरण कर दिया गया है, स्वामी "अबीमाकृत या हिट एंड रन मोटर दुर्घटना के लिए खाता" में नकदी रहित उपचार के लिए व्ययित राशि की प्रतिपूर्ति करने का दायी होगा।

(5) हिट एंड रन मोटर दुर्घटना के मामले में, -

(क) अनुमोदित दावा राशि का संवितरण नामनिर्दिष्ट अभिकरण द्वारा "अबीमाकृत यान या हिट एंड रन मोटरदुर्घटना खाता" से अस्पताल को किया जाएगा।

(ख) नामनिर्दिष्ट अभिकरण द्वारा अनुमोदित दावा राशि के संवितरण के उपरांत, धारा 161 की उपधारा (2) के अंतर्गत देय निर्धारित प्रतिकर तक सीमित, अनुमोदित दावा राशि "हिट एंड रन प्रतिकर खाता" से "अबीमाकृत यान या हिट एंड रन मोटरदुर्घटना खाता" में हस्तांतरित किया जाएगा।

परंतु यह कि जब अनुमोदित दावा राशि, धारा 161के अधीन देय विनिर्धारित प्रतिकर धनराशि से कम होती है, शेष प्रतिकर राशि "हिट एंड रन प्रतिकर खाता" से पीड़ित को देय होगी।

परंतु यह और कि जब अनुमोदित दावा राशि, धारा 161 की उपधारा (2) के अधीन देय विनिर्धारित प्रतिकर धनराशि से अधिक होती है, अधिशेष अनुमोदित दावा राशि का वहन "अबीमाकृत यानों या हिट एंड रन मोटरदुर्घटना खाता" से किया जाएगा।

6. यदि हिट एंड रन मोटरदुर्घटना कारित करने वाले मोटर यान की बाद में पहचान हो जाती है:

(क) अबीमाकृत यानों या हिट एंड रन मोटरदुर्घटना खाता से अस्पताल को अनुमोदित दावा राशि का संवितरण होने से पूर्व, या

(ख) अबीमाकृत यानों या हिट एंड रन मोटरदुर्घटना खाता से अस्पताल को अनुमोदित दावा राशि का संवितरण हो जाने के उपरांत, परंतु धारा 161 के अधीन प्रतिकर स्वीकृत होने से पहले किया जाता है;

स्वामी या अधिकृत बीमाकर्ता पीड़ित के नकदीरहित उपचार पर व्ययित अनुमोदित दावा राशि की "अबीमाकृत यानों या हिट एंड रन मोटर दुर्घटना खाता" में प्रतिपूर्ति करने का दायी होगा।

7. यदि निम्नलिखित के अनुसार प्रतिकर राशि के उपरांत, हिट एंड रन मोटर दुर्घटना कारित करने वाले मोटर यान की पहचान अभिनिर्धारित हो जाती है तो हिट एंड रन स्कीम, 2022 के पीड़ितों को प्रतिकर, हस्तांतरित कर दिया गया है,

अधिकृत बीमाकर्ता या स्वामी, जिनके विरुद्ध मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णय पारित किया गया है,"हिट एंड रन प्रतिकर खाता" में प्रतिकर राशि हस्तांतरित करेगा।

परंतु यह कि यदि अनुमोदित दावा राशि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर राशि से अधिक है, अधिकृत बीमाकर्ता या स्वामी यथास्थिति जिनके विरुद्ध मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णय पारित किया गया है, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत केवल प्रतिकर हस्तांतरित करने के लिए दायी होगी।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनों के लिए,"अनुमोदित दावा राशि" का अर्थ नामनिर्दिष्ट अभिकरण द्वारा अनुमोदित ऐसी दावा राशि होगी।

13. हिट एंड रन प्रतिकर के लिए निधियों का संवितरण – हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के मामले में, धारा 161 के अधीन प्रतिकर हिट एंड रन मोटर दुर्घटना स्कीम, 2022 के पीड़ितों के प्रतिकर के अनुसार हिट एंड रन प्रतिकर खाते से संवितरित किया जाएगा।

14. निधि के प्रबंधन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत संगठनों के कर्तव्य :- निधि के प्रशासन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत संगठनों के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे -

(क) नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में प्राप्त और संवितरित दावों के उचित अभिलेख रखना;

(ख) इस अधिनियम के अधीन विरचित योजनाओं के अधीन विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अनुसार भुगतान करना;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्ररूप में रिपोर्ट देना;

(घ) कार्मिक और अभिलेख के संबंध में पूर्ण सत्यनिष्ठा बनाए रखना;

(ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट कोई अन्य कर्तव्य।

[फा. सं. आरटी-11036/64/2019-एमवीएल (भाग1)]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2022

G.S.R. 162(E).—Whereas the draft Central Motor Vehicles (Motor Vehicle Accident Fund) Rules, 2021 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 527 (E), dated the 2nd August, 2021, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India in which the said notification was published, were made available to the public;

And, whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 3rd August, 2021;

And, whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clauses (v), (w), (x), and (y) of sub-section (2) of section 164C, read with section 164B of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules, namely: —

1. **Short title and commencement. —** (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Motor Vehicle Accident Fund) Rules, 2022**.**

(2) These shall come into force with effect from the 1st April, 2022.

2. **Definitions. —** In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) "Act" means the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);

(b) "Fund" means the Motor Vehicle Accident Fund as constituted under section 164B, which shall include the "Account for Insured Vehicles", "Account for Uninsured Vehicles or Hit and Run Motor Accident", and the "Hit and Run Compensation Account";

(c) "Account for Insured Vehicles" means such part of the Fund that is utilised for the cashless treatment of victims of motor accidents caused by insured vehicles in accordance with the scheme framed under section 162 of the Act;

(d) "Account for Uninsured Vehicles or Hit and Run Motor Accident" means such part of the Fund that is utilised for the cashless treatment of victims of motor accidents caused by uninsured vehicles or hit and run motor accidents in accordance with the scheme framed under section 162;

(e) "designated agency" means the agency entrusted by the Central Government for implementation of the scheme framed under section 162;

(f) "GI Council" means the General Insurance Council constituted under section 64C of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);

(g) "Hit and Run Compensation Account" means such part of the Fund that is utilised for the payment of compensation for victims of hit and run motor accidents as per section 161, read with the Compensation to Victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme, 2022;

(h) "Hospital" means any healthcare service provider providing treatment to a road accident victim under the scheme framed under section 162;

(i) "section" means section of the Act;

(j) "Trust" means the Motor Vehicle Accident Fund Trust established vide a trust deed executed and registered on 13.01.2022;

(k) words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Establishment of Motor Vehicle Accident Fund. – The Motor Vehicle Accident Fund shall be constituted in accordance with sub-section (1) of section 164B, and shall comprise of the following three accounts:-

(a) Account for Insured Vehicles;

(b) Account for Uninsured Vehicles or Hit and Run Motor Accident; and

(c) Hit and Run Compensation Amount.

4. Formation of Trust. — (1) The Trust shall administer the Motor Vehicle Accident Fund in accordance with these rules.

(2) The Trust shall utilise the Motor Vehicle Accident Fund, in accordance with these rules, for-

(a) providing compensation in the case of hit and run motor accidents in accordance with section 161, read with the Compensation to Victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme, 2022;

(b) providing cashless treatment to victims of road accident in accordance with section 162;

(c) providing compensation to such other persons as may be specified.

(3) The Trust shall be governed by these rules and the Trust Deed formulated under rule 7.

5. **Composition of Trust. -** The Trust shall comprise of the following Trustees, namely: —

Sl. No.	**Designation of Member**	**Role in Trust**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	An officer not below the rank of Joint Secretary, Ministry of Road Transport and Highways	**Trustee** (Chairperson);
2.	An officer not below the rank of Joint Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance	**Trustee** - Member;

3.	An officer not below the rank of Deputy Secretary, Department of Expenditure, Ministry of Finance	**Trustee** - Member;
4.	An officer not below the rank of Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare	**Trustee** - Member;
5.	Director, Ministry of Road Transport and Highways	**Trustee** – (**Member–Coordinator)** ;
6.	Representative of Principal Chief Controller of Accounts, Ministry of Road Transport and Highways	**Trustee** - Member;
7.	Secretary General, General Insurance Council	**Trustee** - Member;
8.	Director/Deputy Secretary, Road Safety Cell, Ministry of Road Transport and Highways	**Trustee** - Member;

6. Powers and functions of Trustees. — For the furtherance of the objects of the Trust, and matters incidental or ancillary to the attainment thereof, the trust shall have the following powers: -

(a) periodical review of the working and utilisation of the Motor Vehicles Accident Fund (Trust Corpus), and make recommendations to the Central Government for relevant corrective steps, wherever necessary;

(b) make recommendations to the Central Government on the implementation of the Compensation to Victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme, 2022 and the scheme framed under section 162;

(c) annual review of the quantum based on the receipt of contributions comprising of the Motor Vehicle Accident Fund (Trust Corpus) made under rule 10 and utilisation thereof;

(d) deliberate upon any issues raised by organisations or agencies responsible for the implementation of the Compensation to Victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme, 2022 and the scheme framed under section 162;

(e) any other issues arising during implementation of the scheme utilising this fund.

7. Trust Deed. - (1) The Trust shall be governed by a Trust Deed formulated in accordance with these rules, and the Trust Deed shall be in addition to and not in derogation of these rules:

Provided that in case of any inconsistency between the clauses of the Trust Deed and these rules, these rules shall prevail.

(2) The Trust Deed shall include the following clauses: -

(a) Name and objects of the Trust;

(b) Initial Trust Corpus and additions to the corpus;

(c) Board of Trustees;

(d) Powers and responsibilities of Trustees;

(e) Meetings of the trustees, including quorum, minutes, notice of meetings and voting;

(f) Delegation of powers on behalf of the Trust and appointment of officers;

(g) Power to frame rules, regulations and bye laws of the Trust;

(h) Requirement and mechanism for annual internal audit by one or more properly qualified independent auditor(s) and their manner of appointment;

(i) Requirement of maintenance of records and accounts of the Trust Corpus;

(j) Power to amend the Trust Deed; and

(k) Dissolution of the Trust.

8. Maintenance of record, accounts and audit of Motor Vehicle Accident Fund.-

(1) The Trustees shall keep and maintain such documents, filings, books and records in the interest of proper and transparent administration of the Trust and in compliance with applicable laws in India.

(2) The Trustees shall give true and accurate accounts of all money received and spent and all matters in respect thereof in the course of management of the Motor Vehicle Accident Fund (Trust Corpus) or in relation to carrying out the objectives of the Trust as well as all the assets and liabilities related to the Motor Vehicle Accident Fund (Trust Corpus).

(3) Without prejudice to the generality of sub-rules (1) and (2), the Trustees shall maintain proper accounts, including an Annual Statement of Accounts and Balance Sheet of the Motor Vehicle Accident Fund and records with respect to –

(a) all sums of money received and expended and the matters in respect of which the receipt and expenditure have taken place;

(b) the assets and liabilities of the Trust; and

(c) minutes of meetings of trustees.

(4) The books and statements of account maintained by the Trustees shall be examined, audited and certified, every financial year, by one or more qualified independent auditors, appointed by the Trustees.

(5) The Trustees shall prepare once every year, an annual report of the activities of the Trust and a copy of the same, along with the copy of the audited accounts, at the end of the financial year, shall be furnished to the Ministry of Road Transport and Highways, not later than July, 31st of the same calendar year.

(6) The accounts of the Motor Vehicle Accident Fund (Trust Corpus) shall be audited by the Comptroller and Auditor-General of India in accordance with sub-section (8) of section 164B.

(7) The accounts of the Motor Vehicle Accident Fund, as certified by the Comptroller and Auditor-General of India, together with the audit report, shall be forwarded annually to the Central Government, which shall cause the same to be laid before each House of the Parliament.

9. Inspection and Audit by Central Government. -

(1) The Central Government may undertake directly or through its authorised representative, inspection and audit of the books, accounts, records and documents of the Trust.

(2) The Central Government may exercise the power under sub-rule (1) including, but not limited to, any of the following grounds: -

(a) to ensure that the books of account, records and documents are being properly maintained;

(b) to ascertain whether the provisions of the Act, these rules, all relevant circulars, guidelines or notifications issued by the Central Government are being complied with;

(c) to inquire into the complaints received from road accident victims, or any other person, on any matter having a bearing on the activities of the Trust;

(d) to inquire *suomotu* into such matters as may be deemed fit in the interest of the objectives of the Trust.

(3) For the purpose of inspection or audit under this rule, the Trust, Trustees, Chairperson and other officers of the Trust, shall provide reasonable access to and furnish all information, documents, records and systems in its possession relating to the Trust.

(4) On completion of the inspection and audit, the Central Government may take such action as it may deem fit and appropriate in the interest of the objectives of the Trust.

10. Sources of income of Motor Vehicle Accident Fund. – The sources of income for each of the components of the Motor Vehicle Accident Fund shall be as follows: -

(a) Account for Insured Vehicles- The "Account for Insured Vehicles" shall be credited with the following: -

(i) all insurance companies carrying on the business of motor insurance in India shall contribute such amount as may be specified by the Trust in consultation with GI Council, to the Account for Insured Vehicles;

(ii) the Trust shall ensure that a minimum balance is maintained in the Account for Insured Vehicles at the end of each quarter, or when the total amount of the Account is less than twenty percent of the minimum balance, whichever is greater.

(b) Account for Uninsured Vehicles or Hit and Run Motor Accident- The "Account for Uninsured Vehicles or Hit and Run Motor Accidents" shall be credited with the following:-

(i) the fee collected by the Central Government for using certain sections of the National Highways (user fee) as per the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008; or

(ii) through budgetary grant from the Consolidated Fund of India; or

(iii) fine collected under section 198A; or

(iv) any other source, as may be specified by the Central Government.

(c) Hit and Run Compensation Account: - The Hit and Run Compensation Account shall be credited with the following: -

(a) the current balance under the Solatium Scheme, 1989, as on the date of commencement of these rules; and

(b) such percentage of total third party premium collected by insurance companies carrying on the business of motor insurance in India by the general insurance companies as specified by the trust, taking into account the actual disbursements from the Hit and Run Compensation Account in the preceding year.

11. Utilisation of Components of Motor Vehicle Accident fund- The components of the Motor Vehicle Accident Fund shall be utilised as follows:-

(a) Account for Insured Vehicles-

(i) The Account for Insured Vehicles shall be utilised for the cashless treatment of victims of accidents caused by insured vehicles.

(ii) The claim amount of the Hospital for providing cashless treatment shall be disbursed by the designated agency.

(iii) It shall be administered by GI Council under supervision of the Trust.

(b) Account for Uninsured Vehicles or Hit and Run Motor Accident-

(i) The "Account for Uninsured Vehicles or Hit and Run Motor Accident" shall be utilised for-

(a) providing cashless treatment to victims of accidents caused by uninsured vehicles and hit and run motor accident victims;

(b) providing compensation to such other person as may be specified.

(ii) The claim amount of the Hospital for providing cashless treatment, shall be disbursed by the designated agency to the Hospital.

(iii) It shall be administered by GI Council under the supervision of the Trust.

(c) **Hit and Run Compensation Account: -**

(i) Hit and Run Compensation Account shall be utilised for providing compensation to hit and run accident victims, and reimbursement of claim amount raised by the Hospital for cashless treatment of hit and run motor accident victims, as per scheme framed under section 162, to the Account for Uninsured Vehicles or Hit and Run Motor Accident in accordance with this rule.

(ii) It shall be administered by GI Council under the supervision of the Trust.

12. Disbursement of fund for cashless treatment. -

(1) Subject to the scheme framed under section 162, the disbursement of the fund for cashless treatment shall be in accordance with this rule.

(2) The Trust shall transfer the fund to the designated agency, for implementation of the scheme framed under section 162.

(3) In case of motor accidents caused by insured vehicles, the approved claim amount shall be disbursed by the designated agency to the Hospital from the Account for Insured Vehicles.

(4) In case of motor accidents caused by uninsured vehicles, the approved claim amount shall be disbursed by the designated agency to the Hospital from the Account for Uninsured Vehicles or Hit and Run Motor Accident:

Provided that if the Motor Accident Claim Tribunal has passed an award for compensation against the owner of such uninsured vehicle causing the accident, wherein the amount for cashless treatment has been disbursed, the owner shall be liable to reimburse the amount spent on cashless treatment to the "Account for Uninsured Vehicle or Hit and Run Motor Accident".

(5) In case of a hit and run motor accident, -

(a) the approved claim amount shall be disbursed by the designated agency to the Hospital from the "Account for Uninsured Vehicles or Hit and Run Motor Accident";

(b) after disbursement of approved claim amount by the designated agency, the approved claim amount, limited to the fixed sum compensation payable under sub-section (2) of section 161, shall be transferred from the "Hit and Run Compensation Account" to the "Account for Uninsured Vehicles or Hit and Run Motor Accident".

Provided that when the approved claim amount is less than the fixed sum compensation payable under section 161, the balance compensation amount shall be payable to the victim from the "Hit and Run Compensation Account":

Provided further that when the approved claim amount is more than the fixed sum compensation payable under sub-section (2) of section 161, the excess approved claim amount shall be borne by the "Account for Uninsured Vehicles or Hit and Run Motor Accident".

(6) If the identity of the motor vehicle causing the hit and run accident is subsequently identified-

(a) before the approved claim amount is disbursed from the Account for Uninsured Vehicles or Hit and Run Motor Accident to the Hospital; or

(b) after the approved claim amount is disbursed from the Account for Uninsured Vehicles or Hit and Run Motor Accident to the Hospital, but before compensation is sanctioned under section 161,

the owner or authorised insurer, as the case may be, shall be liable to reimburse the approved claim amount spent on the cashless treatment of the victim to the "Account of Uninsured Vehicle or Hit and Run Motor Accident".

(7) If the identity of the motor vehicle causing the hit and run accident is identified, after the compensation amount in accordance with the Compensation to Victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme, 2022, has been transferred, the authorised insurer or the owner, as the case may be, against whom the award has been passed by the Motor Accident Claim Tribunal, shall transfer the compensation amount given to victim or claimant into "Hit and Run Compensation Account:

Provided that in case the approved claim amount is more than the compensation amount awarded by the Motor Accident Claim Tribunal, the authorised insurer or the owner, as the case may be, against whom the award has been passed by the Motor Accident Claim Tribunal shall be liable to transfer only the compensation awarded by the Motor Accident Claim Tribunal.

Explanation. - For purposes of this rule, "approved claim amount" shall mean such claim amount approved by the designated agency**.**

13. Disbursement of fund for hit and run compensation. - In case of hit and run motor accidents, the compensation under section 161 shall be disbursed from the Hit and Run Compensation Account in accordance with the Compensation to Victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme, 2022.

14. Duties of organisations authorised by Central Government for administration of Fund: - The organisations authorised by the Central Government for administration of the Fund shall have the following duties: -

(a) to maintain proper records of the claims received and disbursed in Form specified by Comptroller and Auditor General;

(b) to make payment as per the specified time limit under the schemes framed under the Act;

(c) to provide reports in the format as specified by the Central Government;

(d) maintenance of absolute integrity in respect of personnel and records;

(e) any other duties as may be specified by the Central Government.

[F. No. RT-11036/64/2019-MVL (Part 1)]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.02.25 23:21:00 +05'30'